

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Uttarkashi

No. 203/2020

Dated. 15/07/2020

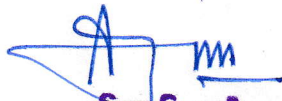
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **11.115 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **P.M.G.S.Y. P.I.U.-Mori, Uttarkashi (Uttarakhand)** for Road Construction **Kotgaon(Naitwar) to Kalap Motor Road** in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **kalap** village (s) in **Mori** tehsils.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure to annexure** .
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.


बिनाधिकारी
उत्तरकाशी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi

**OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Uttarkashi** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. Ashish Chauhan I.A.S. District Magistrate Uttarkashi** on dated **15/07/2020** at time **11:00 AM** at Uttarkashi in which application claiming rights in **Forest..Land** area measuring **11.115** hect for the construction of **kotgaon (Netwar) to Kalap Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Mori** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; **Uttar Kashi**
Dated. **15/07/2020**


जिसाधिकारी
उत्तरकाशी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi

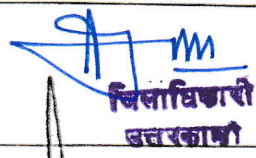
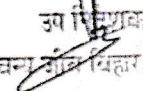
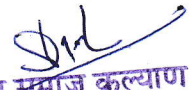
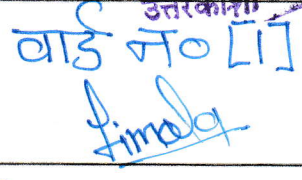
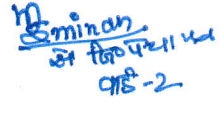
It is certified that-Minutes of meeting of Construction of kotgaon(Naitwar) to Kalap Motor Road Km. 15.00 Motor Road regarding FRA is as following.

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 11.115 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers


बिनाधिकारी
उत्तरकाशी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग के (लम्बाई 15 कि०मी०) निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण 11.115 है० वन भूमि हस्तान्तरण किया जाना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 15/07/2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुये है।

क्र० स०	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डॉ आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी।	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री बलवन्त सिंह शाही	उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पा०, पुरोला।	 उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पा० पुरोला उत्तरकाशी
3	श्री विक्रम सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्रीमती जयमाला	जिला पंचायत सदस्य।	 वाई न० [1] Jyomala
5	श्री मनोज मिना	जिला पंचायत सदस्य।	 म. Minan जिला पंचायत वाई-2
6	श्री मनीष राणा	जिला पंचायत सदस्य।	 मनीष राणा सदस्य जिला पंचायत वाई-2 वि.ख.-हुण्डा, उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई-15.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई-15.00 कि०मी०) निर्माण हेतु (2.565 है० आरक्षित वन भूमि, 8.550 है० सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल. 11.115 है० वन भूमि) का पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०-मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 27.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौ. सै. सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>सौ. सै. सिंह</u>	उपजिलाधिकारी	<u>अ. जिलाधिकारी, पुरोला</u>	अध्यक्ष
2-	श्री <u>एस. एल. सै. सिंह</u>	वन क्षेत्राधिकारी	<u>सुपिन रेणु नैटवाड</u>	सदस्य
3-	श्री <u>मो. न. कुमार</u>	समाज कल्याण अधिकारी	<u>मोरी</u>	सदस्य / सचिव
4-	श्री <u>प्र. सी. तहसील देवी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	<u>नैटवाड</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग परियोजना हेतु

11.115 है० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०-मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, भू संरक्षण गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला उत्तरकाशी। द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 11.115 है० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०-मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद- उत्तरकाशी

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मोरी
जनपद- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **कलाप**
तहसील **मोरी, जिला उत्तरकाशी**

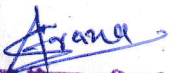
अनापत्ति प्रमाण पत्र

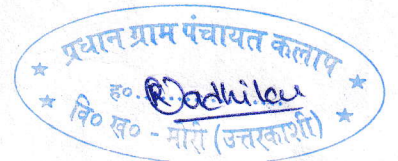
उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.565 है० आरक्षित वन भूमि, 8.550 है० सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 11.115 है० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू० मोरी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलाप द्वारा दिनांक 27.01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू० मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलाप के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 11.115 है० पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू० मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
विकास मुखर सहित
जिला-उत्तरकाशी



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित

दिनांक 27/5/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कलाप

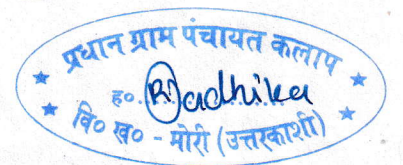
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पद्म सिंह	पद्म सिंह
2	दर्शन सिंह	
3	लक्ष्मण लाल	लक्ष्मण लाल
4	मोहन लाल सिंह	मोहन लाल सिंह
5	दधीलाल	दधीलाल
6	बिनीद	बिनीद
7	अनिल राणा	अनिल राणा
8	राजगोहन सिंह	राजगोहन सिंह
9	वरदान सिंह	वरदान सिंह
10	भूति सिंह	भूति सिंह
11	देवीराम	देवीराम
12	केशव सिंह	केशव सिंह
13	डाकू सिंह	डाकू सिंह
14	नत्थी सिंह	नत्थी सिंह
15	सुरेश	सुरेश
16	मदन राणा	मदन राणा
17	बिलाव सिंह	बिलाव सिंह
18	दलेव सिंह	दलेव सिंह

ग्राम प्रधान



क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
20	किताब सिंह	किताब सिंह
21	अर्जुन लाल	अर्जुन लाल
22	रौशन लाल	रौशन लाल
23	रज्जु लाल	रज्जु लाल
24	हरदयाल सिंह	हरदयाल सिंह
25	शाहब सिंह	
26	जबर सिंह	
27	जोत सिंह	
28	गोपाल सिंह	
29	मीन सिंह	मीन सिंह
30	सैन सिंह	सैन सिंह
31	जीतपाल	जीतपाल
32	प्रहलाद	प्रहलाद
33	दुधर सिंह	
34	शालदास सिंह	शालदास
35	बालकिसन	बालकिसन
36	किसन सिंह	किसन

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम **कुमाला**
तहसील **मोरी**, जिला **उत्तरकाशी**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगाँव(नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.565 है० आरक्षित वन भूमि, 8.550 है० सिविल एवं सोयम भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल **11.115 है०** वन भूमि का **पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०** मोरी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कुमाला** द्वारा दिनांक **27/01/2020** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०** मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कुमाला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **11.115 है० पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०** मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

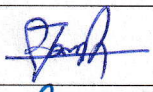
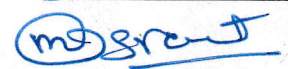
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव/विकास
मुहर अधिकारी
ग्रा.प. ... 27.01.2020 ...
विकास खण्ड ... मोरी


ग्राम पंचायत ...
वि०ख० ...
जनपद उत्तरकाशी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 27/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-(कुमाला) नैलास

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश रावत	
2	मूर्ति सिंह	मूर्ति सिंह
3	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
4	अनुर सिंह	अनुर सिंह
5	जगत	जगत
6	मुकेश	
7	गोविंद	गोविंद
8	जयपाल	जयपाल
9	मनवीर सिंह	
10	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
11	जाजमोहन सिंह	जाजमोहन सिंह
12	राजवीर सिंह	राजवीर सिंह
13	हाकम सिंह	हाकम सिंह
14	शेखर सिंह	शेखर सिंह
15	खजान	खजान सिंह
16	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
17	कितव सिंह	कितव सिंह
18	बरदास	बरदास

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत
वि० सं.
जनपद उत्तरांचल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19	हिलम दास	हिलमदास
20	नल्ही दास	नल्ही दास
21	करम दास	करम दास
22	नील दास	नील दास
23	कमल दास	Kamal Das
24	ज्ञान दास	ज्ञान दास
25	नल्ही सिंह	नल्ही सिंह
26	राजेन्द्र	राजेन्द्र सिंह
27	राजकुमार	राजेन्द्र सिंह
28	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
29	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
30	सूरत सिंह	सूरत सिंह
31	शमचन्द्र रावत	शमचन्द्र रावत
32	रमेश	रामेश रावत
33	देशराज	रमेश रावत
34	केशर	देशराज रावत
35	विनीत	KSD
36	विजयपाल	विजयपाल

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत नैटवाड़
वि० नं० १०९
जनपद उत्तरकाशी